



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट**

E.Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक

595 / 280

दिनांक 8 / 08 / 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:-

Construction of Dharamghar kotmanya Motor Road Proposal No (FP/UK/ROAD/39043 / 2019)

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS Dated 11-03-2019

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियों लगायी गयी हैं।

अतः बिन्दु सं0 1 से 5 में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियों	आख्या
1	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A- 1(iii) of Part- I] It should give comprehensive details of the project in beief.	This road starts from km 70 of Balighat Dofar dharamghar kotmanya motor road. It connects revenue villages of Lamgingeda and majkera It helps to connects local villages with main stream road network and help the villagers to progress by financial economic and other means of well being.
2	Some other documents has been uploaded in the place of Qwnership proof MOU and non encumbrance at para I (iv-g.h) in form A Part I authenticated by DFO.	Required documents is uploaded ownership proof MOU and non encumbrance certificate at para I (iv-g.h) in form A Part I authenticated by DFO.
3	Administrative Approval and Financial Sanction details is not clear as additional information in from A part I.	Clear copy of Administrative Approval and Financial Sanction details is uploaded in additional information in from A part I.
4	The Certificate of aerial distance of the project area is not found uploaded in Form A part I	Certificate of aerial distance of the project area is uploaded in Form A part I.
5	Estimated cost is wrongly filled please do necessary correction in Form A Part I	Estimated cost is now filled correctly.


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट

प्रपत्र-25

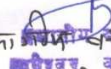
परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 15 किमी० है।


वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर


उप-प्रभागिय वन अधिकारी
बागेश्वर


जनपद बागेश्वर
वन प्रशासक
बागेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है।

समर्थक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमे राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हूँ।


 सहायक अधीक्षक
 निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग
 कपकोट


 अधीक्षक, अभियंता
 निर्माण विभाग, खंड, लोक निर्माण विभाग
 कपकोट (बागेश्वर)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।


सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, जिला नि.वि.
कपकोट


अधिसायी अभियंता
निर्माण खण्ड, जिला नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)